(वाद सं0.-4819/4/12/2020-WC)

23.02.2021

प्रसंगाधीन मामला "कालकी मीडिया" की ओर से बिहार राज्य के गोपालगंज जिला के एक नौ वर्षीय बच्ची, लाली की बलात्कार कर उसकी हत्या किये जाने से संबंधित राज्य आयोग को भेजे गये ई–मेल के आधार पर संस्थित किया गया है।

उक्त के संबंध में **पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज** द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उपरोक्त धटना के संबंध में मृत्तक बच्ची के पिता शिवशंकर साह, के लिखित आवेदन के आधार पर उसकी नौ वर्षीय पुत्र, लाली कुमारी, की बलात्कार कर हत्या कर देने एवं हत्या कर साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को गायब कर देने के आरोप में भा0द0सं0 की धाराओ 302/376(f)/201/34 एवं पोक्सों अधिनियम , 2012 की धाराओं 3/ 4/9/10 के अन्तर्गत जयकिशोर साह एवं अन्य सहयोगियों के विरूद्ध सिधवलिया थाना कांड सं0–187/2020, दिनांक–25.08.2020 के रूप में संस्थित किया गया, जिसमें प्राथमिकी अभियुक्त **जयकिशोर साह** की संलिप्तता को **सत्य** पाया गया है जबकि एक अप्राथमिकी अभियुक्त, बन्टी पाण्डेंय, की संलिप्तता के संबंध में अन्तिम निर्णय लिया जाना है। प्राथमिकी अभियुक्त जयकिशोर साह के विरूद्ध अन्वेषणोपरान्त **आरोप–पत्र** समर्पित किया जाा चुका है तथा वर्तमान में कारा में संसीमित है।

मृत्तक, लाली कुमारी, के पिता शिवशंकर साह (धटना के सूचक) को अनुमान्य क्षतिपूर्ति दिलाने हेतु प्रस्ताव भी समर्पित किया जा चुकाा है। वर्तमान में प्रसंगाधीन कांड शेष बिन्दुओं पर अनुसंधानन्तर्गत है।

राज्य आयोग पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज से यह अपेक्षा करती है कि ऐसे जधन्य कांड का यथाशीध्र अनुसंधान पूर्ण किया जाय जिससे कि दोषी व्यक्ति/व्यक्तियों को उनके इस कुकृत्य के लिए न्यायपालिका के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

अब जबकि प्रसंगाधीन कांड में एक प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध अन्वेषणोंपरान्त **आरोप–पत्र** समर्पित हो चुका है तथा शेष बिन्दुओं पर अन्वेषण जारी है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य आयोग अन्वेषण के संबंध में हस्तक्षेप करने से बचना चाहती है। उक्त से संबधित तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले में कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। सूचक शिवशंकर साह उक्त के सम्बन्ध में संबंधित न्यायालय से विधिनुसार वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते है।

उक्त के आलोक में **पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार, आज पारित आदेश की प्रति **सूचनार्थ** एवं **आवश्यक कार्रवाई** हेतु **पुलिस अधीक्षक, गोपालगंज** को भेजते हुए उसकी एक प्रति **परिवादी** को **उसके e-mail ID-thekalkimedia@gmail.com** के माध्यम उपलब्ध करा दी जाय। **(उज्ज्वल कुमार दुबे)**

सदस्य

<u>निबंधक</u>